

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग

-: आदेश :-

संचिका संख्या :-6 / वि०पत्रा०-24-28 / 2024

/ पटना, दिनांक-

श्री आलोक राय, प्रधान आप्त सचिव, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना का दिनांक-01.05.2026 से 03.05.2026 तक घोषित राजपत्रित एवं सामान्य अवकाश के उपभोग की अनुमति तथा दिनांक-04.05.2026 से 18.05.2026 तक कुल 15 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति से संबंधित आवेदन को सम्यक् विचारोपरान्त कार्यहित में अस्वीकृत किया जाता है।

2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(नीतू सिंह)

सरकार के अवर सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-6 / वि०पत्रा०-24-28 / 2024 1475

/ पटना, दिनांक- 02/05/2026

प्रतिलिपि:-वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना-800015/
कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/राज्य-कर
संयुक्त आयुक्त-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वाणिज्य-कर विभाग,
बिहार, पटना/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त-सह-नोडल पदाधिकारी,
एच०आर०एम०एस०, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर,
वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना एवं श्री आलोक राय, प्रधान आप्त सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

02.05.26

(नीतू सिंह)

सरकार के अवर सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग
बिहार, पटना।